लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2896

जिसका उत्तर बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023 को दिया जाएगा

खिलौनों के लिए बीआईएस प्रमाणन

2896. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बने सभी खिलौनों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन प्राप्त हो, हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे खिलौनों के दोष अथवा जोखिमों के संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश भर में बच्चों के कल्याण हेतु खिलौना सुरक्षा विनियमों की निगरानी और प्रवर्तन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी किए गए खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुसार, 1 जनवरी 2021 से खिलौनों की सुरक्षा बीआईएस अनिवार्य प्रमाणन के अधीन है। खिलौने संबंधी क्यूसीओ विशेष रूप से या अन्यथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खेलने के लिए डिज़ाइन किए गए या स्पष्ट रूप से आशयित (खिलौना) उत्पाद या सामग्री पर लागू होंगे या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य उत्पाद पर लागू होंगे। तदनुसार, खिलौनों की सुरक्षा के लिए खिलौनों का संगत भारतीय मानकों के अनुरूप होना और उन पर बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न अंकित होना अनिवार्य है।

बीआईएस अधिनियम, की धारा 17 के साथ पठित, इस गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बीआईएस अधिनियम, 2016 के साथ पठित इस क्यूसीओ के अनुसरण में बिना आईएसआई चिह्न वाले किसी भी खिलौने का विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, लीज, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा। बीआईएस उत्पाद प्रमाणन स्कीम अर्थात् बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के तहत, विनिर्माण इकाइयों को संगत भारतीय मानकों के अनुसार उत्पाद पर मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। तदनुसार, भारत को खिलौने निर्यात करने वाली विदेशी विनिर्माण इकाइयों सहित खिलौना विनिर्माण इकाइयों को खिलौनों की सुरक्षा के लिए बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत उल्लंघन जुर्माना और/या कारावास से दंडनीय है।

(ग) बीआईएस कुछ विनिर्माताओं/विक्रेताओं/आयातकों आदि द्वारा खिलौनों के गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इन शिकायतों पर कार्रवाई में जानकारी की वास्तविकता के सत्यापन के लिए विवेकपूर्ण जांच, उसके बाद तलाशी एवं जब्ती और बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराधी के खिलाफ अभियोजन शुरू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, खिलौनों के गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन को रोकने के लिए बीआईएस शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बाजार निगरानी गतिविधियों के माध्यम से अग्र सक्रिय प्रवर्तन भी किया जाता है।

खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2020 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस द्वारा की गई तलाशी और जब्ती अभियान का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	संचालित तलाशी एवं जब्ती अभियान
2021-22	40
2022-23	74
2023-24 (11 दिसंबर, 2023 तक)	12

(घ) बीआईएस उत्पाद प्रमाणन स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, बीआईएस फैक्ट्री के दौरे और भारतीय मानकों के अनुसार उत्पाद के परीक्षण के माध्यम से खिलौने बनाने की उनकी क्षमता के आकलन के आधार पर विनिर्माण इकाइयों को उनके उत्पाद पर बीआईएस मानक चिह्न (आईएसआई मार्क) का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। बीआईएस यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार और फैक्ट्री की निगरानी भी करता है कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध आईएसआई चिह्नित खिलौने भारतीय मानकों के अनुरूप हैं, जिसके तहत खिलौनों के नमूने विनिर्माण इकाई (कारखानों) और बाजार से लिए जाते हैं तथा बीआईएस प्रयोगशालाओं और बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भारतीय मानकों के अनुसार इनका परीक्षण किया जाता है।

******